संख्या-24 /2025/एस-333/38-2-2024/I-876409/2025
002-38-2099-99-180-2024

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2025**

विषयः- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थांन की मानक मद-01 वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-627/प्रशि0/बजट-4(13)/2024-25, दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के मानक मद-01 से हो रही बचत धनराशि से रू0 96.46 लाख (रूपये छियानवे लाख छियालीस हजार मात्र) का पुनर्विनियोग बजट "मैनुअल बी0एम0-9(भाग-1)" के अनुसार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के मानक मद-01 से मानक मद-01 में हो रही बचत की धनराशि से 2515-00-102-04-00- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास 13-टेलीफोन पर व्यय में धनराशि रू 16.76 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण (पी0ओ0एल0) में धनराशि रू 10.00 लाख तथा 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में धनराशि रू 50.00 लाख अर्थात् कुल रु0 76.76 लाख (रूपये छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) के पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(5) प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के समावेश/निर्धारण का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03. 2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2515001020400 **(दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ)** के नामे डाला जायेगा।

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	13 टेलीफोन पर व्यय	16,76,000 (रुपये सोलह लाख छिहत्तर हजार मात्र)
2	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
			कुल	**76,76,000** **(रुपये छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र)**
महायोग				76,76,000 (रुपये छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र)

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-24 /2025/एस-333/38-2-2024/I-876409/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्यासय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3

8- ग्राम्य विकास अनु0-3 ।

9- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

डी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(सदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-2024/2025-38-2099-99-180-2024

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की मानक मद 01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकलन

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास परिशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्सरी का तालाब संकलन)	01 (वेतन)	7,30,00,000 रुपये सात करोड़ तीस लाख मात्र	96,46,000 रुपये छियानवे लाख छियालीस हजार मात्र	-96,46,000 ऋणात्मक छियानवे लाख छियालीस हजार मात्र	7676000	65324000	2024-2025

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकलन

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संकलन हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास परिशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्सरी का तालाब संकलन)	58 (भाड़ा सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	61,35,000 रुपये इकसठ लाख पैंतीस हजार मात्र	5000000	11000000	2024-2025
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास परिशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्सरी का तालाब संकलन)	13 (टेलीफोन एवं टेलेक्स)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	18,76,000 रुपये अठारह लाख छिहत्तर हजार मात्र	1676000	2176000	2024-2025
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास परिशिक्षण एवं शोध संस्थान बक्सरी का तालाब संकलन)	15 (मशीनरी का अनुरक्षण और मेंटेन आदि की अदायगी)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	18,35,000 रुपये अठारह लाख पैंतीस हजार मात्र	1000000	2000000	2024-2025

PDF.js viewer https://sad.upeoffice.gov.in/efile/assets/pdfjs-2.16.105-dist/web/vie...

PDF.js viewer https://sad.upeoffice.gov.in/efile/assets/pdfjs-2.16.105-dist/web...

1/27/25, 5:53 PM PDF.js viewer

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1. दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ में कई प्रशिक्षणों के संचालनार्थ उपलब्ध एवं रिक्त होने तथा आयोग द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों को न भरे जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानक मद-01 वेतन में लगभग धनराशि रु0 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ लाख) बचत होने की संभावना है।
2. दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में वर्ष 2024-25 में मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय, मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण (पी0ओ0एल0) एवं मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के लिए प्रयोपन बजट व्यवस्था न होने के कारण कुल धनराशि रु0 96.46 लाख की अपरिहार्य आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में 3000 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151,154 व 155 में लिखित पंतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-✓ /2024-25, दिनांक- 29.01.2025 जनवरी, 2025

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 3000 प्रयागराज

(प्रह्लाद बरसायत)
संयुक्त सचिव

(मनजीत सिंह)
अनु सचिव।